



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53264

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8737 वर्ष 2026

हरि राम और एक अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 14 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार दुबे, विपुल कुमार दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित अनुभव करता/करती है, तो आदेश में उपांतरण/फेरबदल की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचीगण द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को वाद संख्या आरएसटी/12885/2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202515060412885) को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निदेशित करना है।
4. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और पर्याप्त समय पहले ही व्यतीत हो चुका है किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को यह निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह पूर्वोक्त वाद का कड़ाई से विधि के अनुसार शीघ्रता से निस्तारण करे, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णीत नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।